न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 66/2019

1 मुरारीलाल पुत्र गिरधारीलाल।
2 खेताराम पुत्र गिरधारीलाल।
3 दयानन्द पुत्र गिरधारीलाल समस्त जाति स्वामी निवासीगण मलसीसर रोड वार्ड नम्बर 45 पीपली चौक झुंझुनू। अपीलांट

बनाम

1 नसीरूदीन पुत्र रूकमुदीन जाति मुसलमान चेजारा निवासी चार कुतुब मस्जिद के पास वार्ड नम्बर 36 झुंझुनू।
1/1 जुलेखां बानो पत्नी नसीरूदीन।
1/2 सरवर पुत्र नसीरूदीन।
1/3 अनवर पुत्र नसीरूदीन।
1/4 रहमान पुत्र नसीरूदीन समस्त जाति मुसलमान चेजारा निवासी चार कुतुब मस्जिद के पास वार्ड नम्बर 36 झुंझुनू।
1/5 जमीला बानो पुत्री नसीरूदीन पत्नी असगर।
1/6 रजिला बनो पुत्री नसीरूदीन पत्नी जाफर।
1/7 सरीफा बानो पुत्री नसीरूदीन पत्नी जाकिर समस्त जाति चेजारा मुसलमान निवासी पीपली चौक नव जीवन अस्पताल के सामने वार्ड नम्बर 45 झुंझुनू।
2 बसीरा पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान चेजारा निवासी अंसारी कॉलोनी 132 के.वी. के नजदीक झुंझुनू।
3 आसिया पुत्री इब्राहिम पत्नी शोकत जाति मुसलमान निवासी इस्लामियां मस्जिद के पास पीपली चौक झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4 मुबारिक पुत्र अलहमदो पत्नी महबूब।
5 खलील पुत्र अलहमदो पत्नी महबूब।
6 मरियम पुत्री अलहमदो पत्नी असलम समस्त जाति मुसलमान निवासीगण मोहल्ला चेजारान वार्ड नम्बर 36 चुणा चौक झुंझुनू।
7 रहिशा बानो पुत्री आमीना पत्नी अलताफ जाति मुसलमान चेजारा निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा मोहल्ला झुंझुनू।
8 आरिफ पुत्र आमीना पत्नी नवाब।
9 तोफिक पुत्र आमीना पत्नी नवाब।
10 अयूब पुत्र आमीना पत्नी नवाब।
11 मुलायम बानो पुत्री आमीना जरिये कुदरती संरक्षक भाई आरिफ जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 2 मेड़तनी बावड़ी के पास झुंझुनू।
12 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बी.सी. झुंझुनू जरिये प्रबन्धक नगरपरिषद झुंझुनू के पास रोड़ नम्बर 1 झुंझुनू।
13 पंजाब नेशनल बैंक झुंझुनू जरिये प्रबन्धक रोड़ नम्बर 1 झुंझुनू।
14 तहसीलदार झुंझुनू।
15 उप पंजियक झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2019 बमुकदमा
उनवानी नसीरूदीन बनाम मुरारीलाल वगैरह दावा बाबत
घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा
नम्बर 25/2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 12.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 25/2014 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाके कस्बा झुंझुनू पटवार हल्का झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू में भूमि खसरा नम्बर 888 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 896 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 911 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 930 रकबा 2.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 931 रकबा 2.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933/4100 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 935 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 935/4102 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैर मुमकिन कुआं, खसरा नम्बर 936 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 938 रकबा 0.30 हैक्टेयर, कुल किता 17 कुल रकबा 16.0500 हैक्टेयर जिसके पुराना खसरा नम्बर 366,368 है उपरोक्त कृषि भूमि वाके ग्राम झुंझुनू बाबत वादी नसीरूदीन ने विचारण न्यायालय में दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 13 को 1/2,1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें व वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 का नाम हज्फ किया जाकर वादी व प्रतिवादी नम्बर 4 लगायत 13 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी व प्रतिवादी 4 लगायत 13 के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न न करें, यह अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के द्वारा जवाब दावा पेश किया व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 8 व 9 से 13 व 4,5,14,15,17 बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई व शहादत वादी पेश करने पर शामिल मिसल की गई। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि हमे निर्णय की जानकारी दिनांक 15.07.2019 को हुई है। दिनांक 27.12.2018 से आगे की सभी आदेशिका बदलकर 28.02.2019 को बाला बाला निर्णय पारित कर दिया जबकि हमे दिनांक 24.07.2019 की तिथि की जानकारी न्यायालय द्वारा दी गई। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। पत्रावली दिनांक 13.02.2014 से 27.12.2018 तक तलबी में नियत चल रही थी। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिनांक 27.12.2018 की प्रति हमे नही दी गई। हमारी प्राप्ती के कोई हस्ताक्षर नही है आदेशिका में मनमर्जी से अंकन किया गया है। आदेशिका दोष पूर्ण है। प्रतिवादी संख्या 6 से 8 एवं 9 से 13 के विरूद्व तलबी किये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 28.01.2019 के बाद की तारीख पेशी की हमे जानकारी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना अवसर दिये मनमर्जी से आदेशिका लिखी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2019 को हमारे विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये बिना बहस सुनी गई है। सन 2013 में अपीलांट द्वारा विवादित भूमि में टॉवर हेतु बी.एस.एन.एल. को भूमि किराये पर दी गई थी इससे हमारा आधिपत्य प्रमाणित होता है। विवादित भूमि पर स्वामी रेस्टोरेंट के नाम से हमारा होटल है। कल्पतरू कम्पनी को भी भूमि हमारे द्वारा किराये पर दी गई है। मिसल हकीयत में हमारा नाम है खसरा गिरदावरियों में लगातार काश्त दर्ज है। भू–प्रबन्ध के पर्चे हमारे नाम जारी हुये है लगान की रसीदे हमारे नाम से है। बिजली एवं पानी के बिल हमारे नाम से है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय तनकीवार पारित नही किया गया है जो विधिक प्रकिया के विरूद्व है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया एवं न्याय को ताक में रखकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मनमर्जी से निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2015(4) पेज 1442, आर.आर.टी. 2014–15 (Supp.) पेज 100, आर.एल.डब्ल्यू 2000(2) पेज 1102, डब्ल्यू.एल.सी. 2003(2) पेज 519, आर.एल.डब्ल्यू 2006(1) पेज 52 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण पुन सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि दिनांक 28.02.2019 के निर्णय की अपील 22.07.2019 को पेश की गई है। निर्णय की तिथि के दिन अन्य मुकदमों मे अपीलांट के अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित रहे है। अत इस निर्णय की उन्हे जानकारी नही होने का कथन स्वीकार योग्य नही है। दिन प्रतिदिन की देरी का कारण स्पष्ट नही किया गया है, शपथ पत्र भी नही दिया गया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। गुणावगुण पर बहस करते हुये निवेदन किया है कि मिसल हकीयत 1999 में खसरा नम्बर 366,368 में कॉलम संख्या 7 में मिर्जा वल्द दरगाही मेरे वंशज का नाम है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से ही हमारा कब्जा काश्त था। जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 में भी खसरा नम्बर 366,368 में यही इन्द्राज है। खसरा गिरदावरी में 2030 तक हमारा नाम दर्ज है। भू–प्रबन्ध द्वारा अपीलांट के नाम गलत पर्चा जारी किया गया। इसका भू–प्रबन्ध को अधिकार नही है। जिस भूमि की अपीलांट दावेदारी कर रहे है उसका रेफरेन्स हुआ था। जो कि माननीय राजस्व मण्डल से स्वीकार हुआ है क्योंकि भूमि माफि मंदिर की थी इस रेफरेन्स के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें आगामी तिथि 19.02.2020 नियत है सिविल न्यायालय में इनके विरूद्व अवमानना की कार्यवाही हुई है। बी.एस.एन.एल.को भूमि किराये पर देने का जवाब दावे में कोई उल्लेख नही है। दिनांक 26.09.2019 को विचारण न्यायालय में अपीलांट के पुत्र दयानन्द ने विवादित भूमि के सन्दर्भ में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

धारा 53,88,188 का दावा पेश किया। जिसमें हमे पक्षकार नही बनाया गया जबकि दिनांक 19.09.2019 को ही हमारे पक्ष में नामान्तकरण भरा जा चुका था। अपीलांट के तर्क सुसंगत नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2018 पेज 530, आर.बी.जे. 2018 पेज 543, आर.बी.जे. 2015 पेज 390, आर.बी.जे. 2009 पेज 825, आर.बी.जे. 2009 पेज 578, आर.बी.जे. 2002 पेज 334, आर.बी.जे. 2007 पेज 640, आर.बी.जे. 2006 पेज 205, आर.बी.जे. 1998 पेज 274, आर.बी.जे. 2015 पेज 280, आर.बी. जे. 2017 पेज 95, आर.बी.जे. 2018 पेज 356, आर.बी.जे. 2018 पेज 591, आर. आर.डी. 2012 पेज 272, आर.आर.डी. 2013 पेज 189, आर.आर.डी. 2005 पेज 211 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। विद्वान अधिवक्ता ने वरवक्त बहस फर्द के साथ सत्य प्रतिलिपि मुकदमा नम्बर 73/2019 सदादेव बनाम मुरारीलाल उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, सत्य प्रतिलिपि मुकदमा नम्बर 135/2019 क्षदानन्द बनाम मुरारीलाल उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू दावा बाबत घोषणा, फोटो प्रतिलिपि रेफरेन्स निर्णय दिनांक 18/08/2009 सरकार बनाम खेता न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू, फोटो प्रतिलिपि निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर रेफरेन्स नम्बर 7308/2009 निर्णय दिनांक 03.06.2016, फोटो प्रति निर्णय दिनांक 04.09.2018 ए.डी.जे. 2 झुंझुनू, फोटो प्रति राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पिटीशन की प्रति पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने जवाब में तर्क दिया है कि हमने हमारी डायरी में वही तिथि अंकित की है जो न्यायालय द्वारा हमे बताई गई है। रेस्पोडेंट ने केवल खसरा नम्बर 366,368 के सन्दर्भ में कथन किया है जबकि अन्य खसरा नम्बर विवादित है। अवमानना प्रकरण अन्य भूमि से सम्बंधित है। धारा 5 का आवेदन न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

भूमि हाल खसरा नम्बर 888,896,897,911,912,930,931,932,933,933/4100, 934,934,4101,935,935/4102,936,938 बाबत उदघोषणा चाही गई। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इन खसरा नम्बरान के गत खसरा नम्बर 368/1,368/2, 368/1 मिन,368/2मिन,366/3,366/4/2, 28/2/2,365,366/2/1, 365/2,363/1,366,364/2/1,342/1/1/1 से उक्त नवीन खसरा नम्बर बनना अंकित है। मिसल हकियत 1999 में विवादित भूमि में से खसरा नम्बर 366 एवं 368 माफी मंदिर रघुनाथजी के नाम कॉलम संख्या 06 में एवं कॉलम संख्या 07 में मिरजा वल्द दरगाही कौम चेजारा साकिन देह कदीम दर्ज है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका की अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 28.01.2019 को तनकीयात कायम की गई है एवं पत्रावली वास्ते शहादत वादी दिनांक 12.02.2019 को नियत की गई है। दिनांक 12.02.2019 की आदेशिका में अंकन है कि वादीगण की और से सरवर पुत्र नसीरूदीन, सदीक पुत्र हनीफ, यासीन पुत्र हनीफ के शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी संख्या 01 को दिये जाने का आदेश दिया गया एंव वादी द्वारा अन्य शहादत पेश नही करना चाहना अंकित करते हुये शहादतवादी बन्द की गई। पत्रावली वास्ते गवाहान वादी जिरह प्रतिवादी 15.02.2019 को नियत की गई। दिनांक 15.02.2019 को आदेशिका में अंकित किया गया कि वकील प्रतिवादीगण को आवाज लगवाई गई परन्तु न्यायालय समाप्ति समय तक उपस्थित नही आने पर जिरह प्रतिवादीगण बन्द की जाती है। मिशल वास्ते शहादत प्रतिवादी अन्तिम अवसर के साथ एक अवसर दिया जाकर दिनांक 19.02.2019 को नियत की गई। दिनांक 19.02.2019 की आदेशिका में अंकन किया गया कि वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा शहादत पेश नही की गई और अवसर चाहा गया न्यायालय मत पर अवसर दिया जाना उचित नही समझा जाकर प्रतिवादी शहादत बन्द की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.02.2019 को पेश हो। दिनांक 22.02.2019 की आदेशिका में अंकन

किया गया है कि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आवाज लगवाई गई। इनमें से असालतन वकालतन कोई उपस्थित नही होने पर बहस एकपक्षीय सुनी जाकर समाहक की गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28.02.2019 को पेश हो। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2019 को विचाराधीन निर्णय पारित किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेंट द्वारा वरवक्त बहस केवल खसरा नम्बर 366 एवं 368 के सन्दर्भ में बहस की गई है। उपरोक्त विवेचित अन्य गत खसरा नम्बर के सन्दर्भ में कोई कथन नही किया गया है। यद्यपि मिसल हकियत 1999 में खसरा नम्बर 366 एवं 368 मिर्जा वल्द दरगाही के नाम अंकन होना प्रकट है तथापि अन्य गत खसरा नम्बरान का राजस्व रिकार्ड भिन्न है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में तनकीयात कायमी के उपरान्त वादी के साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र की नकल प्रतिवादी को दिलाये जाने का आदेश तो अंकित है किन्तु प्रतिवादी अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा नकल प्राप्त करने के हस्ताक्षर न तो आदेशिका पर है एवं न ही शपथ पत्र पर है। इसके उपरान्त अपीलांट को विचारण न्यायालय में शहादत प्रस्तुत करने हेतु केवल मात्र एक अवसर दिया गया है। जबकि सिविल प्रकिया संहिता में न्यूनतम तीन अवसर दिये जाने का विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इन विधिक प्रावधानों की पालना नही की गई।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में जब दिनांक 22.02.2019 को अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नही आये तो विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया अनुसार इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार ऐसी कोई कार्यवाही किये बिना दिनांक 22.02.2019 को सीधी एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 28.02.2019 को विचाराधीन आदेश पारित कर दिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम की है। किन्तु विचाराधीन निर्णय में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य का तनकीवार कोई विवेचन नही किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एंव विचारण न्यायालय का निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल एंव सिविल प्रकिया संहिता के विधिक प्रावधानों के विपरित होने से विधि विरूद्व पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया अपनाकर गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुनकर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष दिनांक 16.01.2020 को विचारण न्यायालय में उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर